राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.17(ई)परावि/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/2477 जयपुर, दिनांकः 14/08/14

—:: परिपत्र ::—

विभाग पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था देने हेतु कटिबद्ध है। विभाग में प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों/परिवादों पर पूर्ण संवेदनशीलता से त्वरित कार्यवाही एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन परिवादों के परीक्षण एवं प्राप्त जांच रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि बहुत से प्रकरणों में केवल व्यक्तिगत रंजिश एवं दुर्भावना से प्रेरित होकर परिवाद दर्ज करवाये जाते है तथा ऐसे परिवाद झूठे नामों से व गलत पते देकर भिजवा दिये जाते है व कई बार शिकायतकर्ता को चिन्हित करना बहुत दुष्कर कार्य हो जाता है। गुमनाम शिकायतकर्ता द्वारा एक परिवाद जरिये डाक द्वारा भिजवाया जाकर इसकी इतिश्री कर ली जाती है एवं शिकायत के पक्ष में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाये जाते है। ऐसी अनुत्तरदायी एवं झूठी शिकायतों से उन जन प्रतिनिधिगणों/ अधिकारियों/ कार्मिकों का हतोत्साहन होता है, जिनके विरूद्व इस प्रकार की शिकायत/परिवाद दर्ज करवाये जाते है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में किसी भी परिवाद/शिकायत की जांच करवाने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जावें –

1. परिवाद स्पष्ट रूप से हस्ताक्षरित एवं शिकायतकर्ता के पूर्ण नाम व पते के साथ हो। अहस्ताक्षरित परिवाद पर कोई कार्यवाही न की जाकर उसे नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।
2. शिकायतकर्ता को अपना अथवा किसी जानकार का टेलीफोन/मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से देना होगा।
3. प्रत्येक परिवाद के साथ परिवाद के सत्य होने व आवेदक के परिचय बाबत एक शपथ पत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर, शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र की अनिवार्यता संस्थापित जन प्रतिनिधिगण यथा वर्तमान सरपंच, पंचायती राज संस्था के सदस्य, विधायक एवं सांसद गण द्वारा दी जाने वाली शिकायतों हेतु अनिवार्य नहीं होगा।
4. विभाग में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में सर्वप्रथम शिकायतकर्ता की पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जांच की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी स्थिति में अहस्ताक्षरित, गुमनाम/झूठी पहचान वाले शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत परिवाद पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी व उसे नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।

अगर किसी प्रकरण में निसंदेह रूप से यह साबित हो जाये कि कोई शरारती तत्व छदम नाम एवं पहचान से शिकायत कर रहा है तो उसके विरूद्व संबंधित अधिकारी द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जावें।

साथ ही यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में कथित तथ्य जांच के बाद झूठे पाये जायें एवं शिकायतकर्ता का आपराधिक आशय पाया जायेगा तो ऐसे मामलों में संबंधित के विरूद्व गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर शपथ पत्र अधिनियम के तहत कार्यवाही करवाई जायेगी।

समस्त अधिकारीगण निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ --

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – समस्त।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6. आदेश पत्रावली।

14/8

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त

\\10.68.28.71\Users\Public\LTR AC.docx